



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 459 राँची, मंगलवार, 10 भाद्र, 1948 (श०)
1 सितम्बर, 2026 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

18 अगस्त, 2026

संख्या-5/आरोप-1-193/2017 का०-5376--श्री दीपक कुमार, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-739/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची के विरुद्ध राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-5059, दिनांक 16.10.2017 के माध्यम उपायुक्त, राँची के पत्रांक-186(i), दिनांक 04.09.2017 द्वारा आरोप-पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया ।

आरोप-पत्र में श्री कुमार के विरुद्ध छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम, 1908 की धारा-46(1)(बी) का उल्लंघन कर कांके अंचल के मौजा कोंगे, खाता सं०-23, खेसरा खेसरा सं०-401, रकबा 11.33 डी० पुरन डोम (अनुसूचित जाति) की भूमि का नामांतरण वाद सं०-134आर०27/2001-02 द्वारा श्री सुरेन्द्र सिंह (सामान्य जाति) के नाम पर करने तथा सरकारी सेवक आचार नियमावली के प्रतिकूल आचरण करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों पर श्री कुमार से प्राप्त स्पष्टीकरण एवं उनके स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची से प्राप्त मंतव्य के समीक्षोपरांत विभागीय संकल्प सं0-5487, दिनांक 16.09.2025 द्वारा श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय जाँच-सह-संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-753, दिनांक 21.07.2026 द्वारा श्री कुमार की आकस्मिक निधन दिनांक 14.07.2026 को हो जाने के फलस्वरूप उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही से संबंधित अभिलेख विभाग को वापस कर दिया गया है।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र, दिनांक 20 अक्टूबर, 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः, समीक्षोपरांत उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में श्री दीपक कुमार, सेवानिवृत्त झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-739/03), तत्कालीन अंचल अधिकारी, कांके, राँची, सम्प्रति-मृत के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को समाप्त किया जाता है।

आदेश :- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री दीपक कुमार, सम्प्रति - मृत के आश्रित एवं अन्य संबंधित को दी जाय।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु
सरकार के संयुक्त सचिव।
